

न्यायालय उपखंड अधिकारी  
पदेन सहायक कलेक्टर  
करेडा (भीलवाड़ा)

गीता 1/5 सरकाड  
प्राप्य 78/2021

16/8/21

पत्रावली पेश हुई। वकीलगणों उपस्थित।  
प्रकरण में मुलवाड का निष्काशन हो जाने से  
अब इस प्रकरण में कार्यवाही का कोई  
औचित्य नहीं है अतः इस प्रकरण का कार्यवाही  
इतिहास पर समाप्त की जाती है। प्रकरण  
में पूर्व में जारी अल्पव्यय निषेधाज्ञा मुल  
वाड के डिक्री हो जाने से प्राप्य में जारी  
स्वयंभू आदेश स्वतः निरस्त माना जा रहा  
एकपक्षीय अल्पव्यय निषेधाज्ञा रवापिज कि  
जाती है। पत्रावली के तहत शुभारंभ होकर  
दस्तावेज से चमक है।

उपखंड अधिकारी पदेन  
सहायक कलेक्टर करेडा

